बिहार सरकार

कृषि विभाग

किसान भाइयों/बहनों के लिए आवश्यक सूचना

गोदाम निर्माण (200 मे० टन) में अनुदान राशि का लाभ उठायें

Resultlives.com

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार एवं इसकी उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कृषि उपज भंडारण की सुविधा हेतु गोदाम निर्माण की योजना ली गई है।

Online आवेदन की प्रक्रिया

- आवेदन के लिए किसान का Online पंजीकरण अनिवार्य है।
- पंजीकृत किसान का आवेदन dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल से Online किया जायेगा।
- किसान 13 अंकों के पंजीकरण संख्या से ऑनलाईन आवेदन (दिनांक–15.03.2022 से 21.03.2022 तक) करेंगे।
- DBT पोर्टल पर आवेदन के लिए (गोदाम निर्माण हेतु आवेदन 2021–22) लिंक को Click किया जायेगा।
- आवेदन Submit के बाद स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन का 72 घंटे के बाद अग्रसारित किया जायेगा।
- कृषि समन्वयक के सत्यापन के बाद आवेदन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा नियमानुसार स्वीकृति पत्र एवं कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- स्वीकृति पत्र एवं कार्यादेश के साथ आवेदन संबंधित जिला के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं कृषि समन्वयक को भेजा जायेगा। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) संबंधित आवेदक के मापी पुस्तिका पर काम करेंगे एवं कृषि समन्वयक संबंधित आवेदक के द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट अपलोड करेंगे।
- सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि समन्वयक की जाँच रिपोर्ट एवं मापी पुस्तिका को नियमानुसार DBT Portal पर अपलोड करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को अनुदान भुगतान की अनुशंसा करेंगे।
- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा PFMS Portal द्वारा अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से अंतरण किया जायेगा।
- पंजीकरण से लेकर आवेदन सत्यापन एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया SMS से जोड़ा गया है जिसकी मदद से अद्यतन स्थिति आवेदक को प्राप्त होगी।

अनुदान दर

- सामान्य श्रेणी – रू० 5.00 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो।
- अनु० जाति/अनु० जनजाति – रू० 6.00 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 75% जो भी कम हो।

PR- 14651 (Agriculture) 2021-22

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।